

नाम		GOVIND SHARAN SHARMA		यात्रा भत्ता बिल		श्रेणी		B			
पद		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी		TA Bill		जिला		Jaipur			
वेतन		63100.00		बिल माह - July-2025		मुख्यालय		JAIPUR			
यात्रा एवं विश्राम का विवरण				यात्रा का प्रकार यथा वायुयान / बस / स्वयं की वाहन / सरकारी गाड़ी		एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन / बस स्टैंड तक पहुंचने का इसके विपरीत यात्रा हेतु धील भत्ता		वायुयान / रेल / बस द्वारा यात्रा के लिए मिल भत्ता		स्वयं के वाहन में सड़क द्वारा यात्रा के लिए मिल भत्ता	
क्र.म	स्थान	प्रस्थान दिनांक	आगमन स्थान	आगमन दिनांक	यात्रा का प्रकार	श्रेणी टिकिट संख्या	दूरी किलोमीटर में	किराया	अनुपांनिक प्रभार की दर से राशि	दूरी किलोमीटर में	राशि
1	JAIPUR	13/06/2025-08:00	AJMER	13/06/2025-10:00	Bus	150.00+	125	140.00	0.00	0	0.00
	AJMER	13/06/2025-18:15	JAIPUR	13/06/2025-20:25	Bus	100.00+ 150.00	125	140.00	0.00	0	0.00
2	JAIPUR	09/07/2025-08:00	AJMER	09/07/2025-10:00	Bus	150.00+	125	140.00	0.00	0	0.00
	AJMER	09/07/2025-18:10	JAIPUR	09/07/2025-20:15	Bus	100.00+ 150.00	125	140.00	0.00	0	0.00
विश्राम का भत्ता			वास्तविक व्यय यदि कोई हो		प्रत्येक पंक्ति का योग	यात्रा का प्रयोजन	अभ्युक्ति				
क्र.स	दिनों की संख्या	राशि	दर	राशि							
	13	14	15	16	17	18	19				
1	0	0.00	0.00	0.00	390.00	Government Tour	for audit para compliance				
	1	500.00	0.00	0.00	890.00	Government Tour	return				
2	0	0.00	0.00	0.00	390.00	Government Tour	for audit compliance				

Employee Reference No.: 8776556

return to headquarter

2	1	500.00	0.00	0.00	890.00	Government Tour
---	---	--------	------	------	--------	-----------------

सरकारी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रमाण पत्र -

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त यात्रा मेंने वस्तुतः की है तथा पूर्व में मेंने इस बिल का भुगतान प्राप्त नहीं किया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि रविवारों या अन्य अवकाश के दिनों जिनके लिये मेंने विश्राम भत्ते का दावा किया है में वार्षिक रूप में शिविर में था।
3. प्रमाणित किया जाता है कि मुझे राजकीय या स्थानीय निकाय की ओर से कोई निःशुल्क सवारी नहीं दी गई।
4. प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में दावाकृत राशि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम -1971 के प्रावधानों के अनुसार है।

(Signature)
हस्ताक्षर

स्थानान्तरण यात्रा भत्ता दावों के जोड़िये

1. वैयक्तिक सामान का किलोमीटर के लिए की दर से
2. वाहन रु
3. एक मुश्त अनुदान रु

घटाईये

यात्रा भत्ता अग्रिम यही आहत किया गया हो बिल संख्या- दिनांक- रु.
चालान नंबर- चालान दिनांक- चालान राशि-
शुद्ध राशि जो भुगतान योग्य है- रु. 2560.00

प्रति हस्ताक्षर

नियंत्रण अधिकारी

TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY रूपये के लिए पास किया।
दिनांक

प्रभारों अधिकारी
सहायता शाखा कलेक्टर
जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jalpur.nic.in

☎: 0141-2209003 FAX-0141-2209003 E mail: oic.relief.jpr@gmail.com

क्रमांक:-सहा./2025/ 653

दिनांक : 8.7.25

निबंधक,
राजस्व मण्डल, राज.
अजमेर।

विषय : चोरी प्रकरण सं० 1724 राशि रुपये 455040/- तहसील आमेर जिला जयपुर के संदर्भ में।
प्रसंग : आपका पत्रांक प.11/चोरी-1724/रामले/3431/राजकाज नं० 16350544 दिनांक 04.07.2025

नहोदय,

विषयक प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में चोरी प्रकरण सं० 1724 तहसील आमेर के संदर्भ में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई है, विन्दुवार विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	विन्दु	वस्तुस्थिति की रिपोर्ट	वि०दि०
1	चोरी प्रकरण सं० 1724 राशि रुपये 455040/- के संदर्भ में वरवक्त चोरी कनिष्ठ सहायक/रोकडिया का प्रतिभूति बन्धक पत्र (फिडलिटी बॉन्ड) लिया गया था अथवा नहीं? की स्थिति।	कार्यालय तहसीलदार आमेर द्वारा उक्त चोरी प्रकरण के संदर्भ में महालेखाकार (राज.) जयपुर को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार वरवक्त चोरी कनिष्ठ सहायक/रोकडिया का प्रतिभूति बन्धक पत्र (फिडलिटी बॉन्ड) प्राप्त किया हुआ था। छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।	परिशिष्ट-अ कुल पृष्ठ-2
2	प्रकरण में वास्तविक चोरी की राशि एवं बरामद राशि तथा शेष राशि की सूचना :- सूचना डबल लॉक में रखी राशि रु. 8,70,700/- पुलिस द्वारा बरामद राशि रु. 4,15,660/- शेष राशि रु. 3,95,040/-	ए.जी. की रिपोर्ट रु. 8,69,700/- रु. 4,15,660/- रु. 4,55,040/- डबल लॉक में रखी राशि रु. 8,70,700/- चोरी की गई राशि रु. 8,69,700/- पुलिस द्वारा (प्रथम रिपोर्ट अनुसार) बरामद राशि 4,15,660/- पुलिस द्वारा बरामद राशि की सूचना पत्रांक 8771 दिनांक 17.11.2009 राशि रु. 4,75,660/- (छाया प्रति संलग्न) तहसीलदार आमेर द्वारा APP की पुष्टि पत्र द्वारा बरामद राशि रु. 4,75,660/- (छाया प्रति संलग्न 714 दिनांक 15.06.2015)	परिशिष्ट-ब कुल पृष्ठ-2
3	प्रधान महालेखाकार, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण सं० 1692 दर्ज नहीं है, मात्र प्रकरण सं० 1724 दर्ज है।	उक्त चोरी प्रकरण में प्रधान महालेखाकार, राज. जयपुर द्वारा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर को प्रकरण सं० 1692 दर्ज कर भिजवाया गया है, पुष्टि हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग का पत्र तथा प्रधान महालेखाकार, राज. जयपुर के पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर द्वारा प्रेषित सूची में उक्त प्रकरण की प्रकरण सं० 1724 अंकन है। अतः 1692 तथा 1724 दोनों प्रकरण उक्त चोरी प्रकरण के ही हैं।	परिशिष्ट-स कुल पृष्ठ-2
4	बरामदगी से शेष राशि तथा पुलिस द्वारा बरामद राशि में से गबन राशि के अपलेखन प्रस्ताव की स्थिति।	अपलेखन प्रस्ताव राशि रु. 3,95,040/- वसूल न होने तथा पुलिस थाना मालखाने से गबन राशि रु. 1,12,900/- कुल राशि रु. 5,70,940/- को अपलिखित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जरिये पत्रांक 797 दिनांक	परिशिष्ट-द कुल पृ.सं. 13

(नोट: सहायता एवं आपदा प्रबन्धन अनुमान के ई-मेल id: oic.relief.jpr@gmail.com पर ही किये जायें।)

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

☎: 0141-2209003 FAX-0141-2209003 E mail: oic.relof.jpr@gmail.com

	30.07.23 द्वारा उपशरान रातिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. को भिजवाये जा चुके हैं, छाया प्रतियां रंलग्न हैं।	
--	--	--

वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

दिनांक : 8/7/25

क्रमांक:-सहा./2025/654-55

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
2. श्री गोविन्द शरण शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी (सहायता शाखा) कलेक्टर, जयपुर को पालनार्थ।



प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
शहर-दक्षिण, जयपुर



कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.Jajpur.nic.in

☎: 0141-2209003 FAX-0141-2200003 E mail: otc.rollof.jpr@gmail.com

क्रमांक:- /सहा/चोरी प्रकरण/2025/ 462.

दिनांक : 10.6.25

वित्तीय सलाहकार,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।


विषय : चोरी प्रकरण संख्या 1724 राशि 455040/- तहसील आमेर जिला जयपुर के
सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक प-11/चोरी-1724/रामले/20221/2160 दिनांक
26.05.2025


विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील आमेर चोरी प्रकरण संख्या 1724 राशि रुपये 455040/- के
सम्बन्ध में वास्तविक चोरी की राशि, बरामद राशि तथा शेष राशि की सूचना एवं प्रकरण संख्या 1724 के
स्थान पर दर्ज प्रकरण संख्या 1692 के बारे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई है, जो निम्नानुसार है:-

चूंकि एजी कार्यालय जयपुर में प्रकरण संख्या 1692 ही दर्ज है किन्तु राजस्व मण्डल अजमेर के
कार्यालय में प्रकरण संख्या 1692 के स्थान पर 1724 दर्ज है (सुलभ सन्दर्भ हेतु एजी कार्यालय जयपुर एवं
राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र की प्रति संलग्न है) तथा चोरी की कुल राशि रुपये 869700/- है एवं
पुलिस द्वारा बरामद राशि रुपये 415660/- है। इस प्रकरण के सन्दर्भ में निर्देशानुसार वास्तविक स्थिति
स्पष्ट करने हेतु श्री गोविन्द शरण शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा को मय पत्रावली भिजवाया
जा रहा है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


प्रणाली अधिकारी राजस्व
एवं अति जिला मजिस्ट्रेट
शहर-दक्षिण, जयपुर
दिनांक : 10.6.25

क्रमांक/सम/2025/ 463
प्रतिलिपि: श्री गोविन्द शरण शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा को उपरोक्त प्रकरण में
वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि ये मय मूल पत्रावली रेकार्ड सहित राजस्व मण्डल
राजस्थान अजमेर में उपस्थित होने हेतु पालनाथ।


प्रणाली अधिकारी राजस्व
एवं अति जिला मजिस्ट्रेट
शहर-दक्षिण, जयपुर